

**रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड**  
(भारत सरकार का उद्यम)

कोर-IV, स्कोप कॉम्प्लैक्स,  
7-लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003  
दूरभाष 4365161  
फैक्स न. 011-4360644

**सतर्कता प्रभाग**

सं. आरईसी/सतर्कता/II(197)/98/751

दिनांक 22 मई, 2002

**परिपत्र सं. 5/2002**

**विषय: मुख्य सतर्कता अधिकारी को अभिलेख मुहैया कराना**

कुछ ऐसे मामले ध्यान में आए हैं, जिनमें निरीक्षण/जांच के दौरान सतर्कता प्रभाग के अधिकारियों द्वारा मांगी गई सूचना/रिकार्ड उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया है।

इस संबंध में दिनांक 05.06.1997 के परिपत्र सं. आरईसी/सतर्कता/II(143)/97, और दिनांक 22.01.1999 के समसंख्या परिपत्र की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिनमें सतर्कता प्रभाग के अधिकारियों को सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया गया था।

सभी संबंधितों को सलाह दी जाती है कि सतर्कता प्रभाग द्वारा मांगा गया रिकार्ड निर्धारित अवधि के अंदर तत्काल उपलब्ध कराया जाए। रिकार्ड उपलब्ध न कराए जाने को आरईसी (सीडीए) नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और उसके लिए अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

ह0/-  
(वी.के.शर्मा)  
मुख्य सतर्कता अधिकारी

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित:-

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/निदेशक (वित्त) के सहायक निदेशक
2. सभी कार्यकारी निदेशक, आरईसी
3. सभी प्रभागों के मुख्याधिकारी/संयुक्त मुख्याधिकारी, कारपोरेट कार्यालय, आरईसी
4. सभी मुख्य परियोजना प्रबंधक/अपर निदेशक, सायर, हैदराबाद
5. सभी उप मुख्याधिकारी, कारपोरेट कार्यालय, आरईसी
6. मास्टर फाइल/कार्यालय प्रति